राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5 / अभि / सीटीएडी / विविध प्रस्ताव–ाा / 2020–21 / 20362-74 दिनांक : 04/8/2021

मुख्य वन संरक्षक
वन विभाग,
उदयपुर।

विषय : खोरापाडा एनिकट निर्माण कार्य ग्राम डेरी, पंचायत समिति छोटीसरवन जिला बांसवाडा की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ : उप वन संरक्षक बांसवाडा का पत्र कमांक 5185 दिनांक 11.06.2021 एवं अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड बांसवाडा का पत्रांक 217 दिनांक 10.06.2021 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 25688–93 दि. 24.10.2020 द्वारा एनिकट निर्माण कार्य की कार्यकारी एजेन्सी जल संसाधन संभाग की जारी प्रशासनिक स्वीकृति कार्य स्थल एवं डूब क्षेत्र वन भूमि आने से पत्रावली के पैरा 93 / एन के निर्देशानुसार एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

नवीन कार्यकारी एजेन्सी उप वन संरक्षक बांसवाडा का पत्र कमांक 5185 दिनांक 11.06.2021 के साथ संलग्न अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड बांसवाडा का पत्रांक 217 दिनांक 10.06.2021 से प्राप्त निम्नलिखित कार्य की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर विभागीय आदेश परिपत्र कमांक 9609–34 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कन्टिजेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए जिसके अन्तर्गत 0.25 आयुक्तालय के खाते में निरीक्षण एवं वाहन हेतु आरक्षित रखते हुए निम्नानुसार सडक निर्माण कार्य की कॉलम संख्या 6 अनुसार राशि 49.21 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी– वन विभाग (राशि लाखो में)

क्र. स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि	0.25% कन्टिजेन्सी चार्ज राशि आयुक्त खाते में	प्रथम किश्त हस्तान्तरण योग्य राशि(7–8)
		क्र / दि	राशि	क्र / दि.	राशि (1.50% कन्टिजेन्सी चार्ज राशि सम्मिलित)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	खोरापाडा एनिकट निर्माण कार्य ग्राम डेरी, पंचायत समिति छोटीसरवन जिला बांसवाडा	25688–93 24.10.2020	100.00	2/2021-22	49.21	35.00	0.12	34.88

उपरोक्त कार्य की कुल राशि 49.21 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त की राशि 35.00 लाख रू. की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–77 / 2019–20 राशि 400.00 लाख मे से कॉलम संख्या 9 अनुसार रू. 34.88 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को देय होगी एवं कॉलम संख्या 8 अनुसार राशि 0.12 लाख आयुक्त कार्यालय के खाते जमा होगी शेष राशि कार्य की प्रगति एवं हस्तान्तरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी। **जल संसाधन विभाग के तकनिकी मार्गदर्शन अनुसार कार्य कराया जाएगा तथा नियमानुसार NOC प्राप्त कर कार्य प्रारंभ कराया जावें।**

कार्यो के संपादन मे प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य महानरेगा अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत / सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।

2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्वि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर जारी कार्यादेश अनुसार ही कराया जावे एवं किसी भी स्थिति में कार्यादेश से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावे। **कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावे।**
4. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा में सम्पादित किया जावें। **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।**
5. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व geo-tagging कर कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित किया जावे तथा फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावें जिन्हें विभागीय वेब–साईड पर अपलोड किया जा सके।
6. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी।
7. कार्यकारी एजेन्सी उन्हें उपलब्ध कराई गई राशि की कार्य की प्रगति एवं व्यय अनुसार नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को उपलब्ध करायेगे।
8. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावें।
9. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर तकमीने मे कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित की जावे।
10. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

(प्रज्ञा केवलरमानी)IAS
आयुक्त

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/विविध प्रस्ताव–ाा/2020–21/20362-74 दिनांक : 4/8/21
प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग,उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत बांसवाडा को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमित निरीक्षण करें।
6. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड बांसवाडा को भेजकर लेख है कि कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
7. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा।
8. प्रधान वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
9. उप वन संरक्षक, बांसवाडा।
10. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कार्य की कुल राशि 49.21 लाख के विरूद्व कॉलम संख्या 9 अनुसार 34.88 लाख रू. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तान्तरित करावें एवं कॉलम संख्या 8 अनुसार राशि 0.12 लाख आयुक्त कार्यालय में कार्यो की मॉनिटरिंग मद में आरक्षित रखी जावें। स्वीकृति संख्या–77/2019–20 राशि रू. 400.00 लाख में से हस्तांतरित होगी।
11. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
12. उप निदेशक (कम्प्यूटर),कार्यालय हाजा।
13. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in